न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 06 / 2022

1 मदनलाल वर्मा पुत्र छोटूराम जाति बलाई निवासी मोहल्ला बलाईयों का आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 राहुल कुमार रैगर पुत्र ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी करड़ रोड़ खारड़ा तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 गिरधारी सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 रामदेव पुत्र शंकर।
3 लक्ष्मण पुत्र शंकर समस्त जति बलाई निवासीगण आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी लंगोड़ तहसील डेगाना जिला नागौर।
4 उप पंजियक तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 भूमिधारी तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर मुकदमा नम्बर 151 / 2021 उनवानी गिरधारी सिंह बनाम रामदेव आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांकित 22.06.2021 बाबत अंतरिम टी.आई.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहन लाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 16·02·2022—

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 151/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आभावास पटवार हल्का आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में भूमियां खसरा नम्बर 452, 601, 602 कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 हैक्टर अवस्थित है। जिसके 1/2 — 1/2 हक, हिस्से के रिकार्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने उपरोक्त भूमियों में से अपना 1/2 — 1/2 हक हिस्सा अपीलाधीन प्रकरण प्रस्तुति से पूर्व ही अपीलान्टस को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया तथा इस निमित कार्यालय उपपंजीयक श्रीमाधोपुर के यहां रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14—06—2021 व 16—06—2021 को रजिस्टर्ड करवा दिये। इस प्रकार अपीलांटस विवादित भूमियों पर प्रस्तुत प्रकरण प्रस्तुति के पहले से ही जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र सम्पूर्ण हक, हिस्सा कय करके काबिज काश्त चले आ रहे है जिसका पूर्णतया ज्ञान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भी है। अपीलांटस द्वारा विवादित भूमियाँ कय कर लिये जाने की जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने अपीलाधीन आवेदन तथा उसके साथ नियमित वाद विवादित भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारीशुदा भूमि होने के बावजूद विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर दिनांक 22—06—2021 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद व आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन बिना कोई कारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व आधार का उल्लेख किये बिना अपीलाधीन अन्तरिम टी.आई. विवादित भूमियों के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने निमित पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्याा 1 का विवादित भूमि से किसी भी रूप में कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं है। केवल मात्र वक्त बुजुर्गान से काबिज होने के झुंठे अभिकथनों के साथ कानूनी प्रावधानों के विपरीत मुकदमा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जबकि किस बुजुर्ग का सबसे कब्जा एवं किस आधार पर कब्ज हुआ तथा उक्त बुजुर्ग के कौन--कौन वारिस है। कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है न ही कब्जा होने का कोई विधिक प्रमाण प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित भूमियाँ अपीलांटस द्वारा कय किये जाने तथ्य को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया है तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलकर्तागण सदभावी केतागण के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे है। इस कारण अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अपील प्रभावित व्यक्ति की हैसियत से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए धारा 5 व धारा 96 स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध धारा 5 धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत विकय पत्र दिनांक 14.06.2021 व 16.06.2021 के अवलोकन से अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार प्रतीत होता है परन्तु यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित धारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया अनुसार चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। आदेश 39 नियम 3 की पालना हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर आगामी एक माह में धारा 212 का अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर